न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 105/2015
प्रविष्टि दिनांक 08.09.2015

1–शिवराज पुत्र माता केसर जाति जाट निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक
2–नन्दू देवी पुत्री माता केसर जाति जाट निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक
3–उर्मिला पुत्री माता केसर जाति जाट निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक

–अपीलाण्ट

बनाम

1–कस्तूरी देवी पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक
हाल निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक
2–तहसीलदार टोक जिला टोक राज0

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद नामान्तकरण संख्या 274 दिनाक 22.06.1989

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट्स

निर्णय **दिनांक** 15.03.2018

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा नामान्तकरण सं0 274 दिनाक 22.06.1989 को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अपीलाण्ट्स व्यथित होकर नामान्तकरण को विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये नोटिस की गई। मूल नामान्तकरण तलब किया गया।रेस्पोडेण्ट्स संख्या–1 सूचना के उपरान्त अनुपस्थित। अतः उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। अभिभाषक अपीलाण्ट्स की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 274 दिनांक 22.06.1989 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक मे गंगाराम का 1/2 हिस्सा दर्ज था। गंगाराम पुत्र बालूराम जाति जाट की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तकरण भूरी बेवा गंगाराम व कस्तुरी देवी पुत्री गंगाराम जाट के नाम से तस्दीक किया है।भृतक गंगाराम के विधिक उत्तराधिकारी मु0कस्तूरी,मु0केसर व मु0भूरी हैं क्योकि मु0भूरी, मु0केसर, व मु0 कस्तूरी की भी मृत्यु हो चुकी है।मृतक गंगाराम की कृषि भूमि मु0 केसर के वारिसान अपीलार्थीगण का आधा हिस्सा व आधा हिस्सा मु0 कस्तूरी देवी का है। सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेण्ट नं0 1 कस्तूरी देवी व स्व0 भूरी के नाम अंकित कर दिया जो गलत है। तहसीलदार टोंक व पटवारी हल्का ने नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक गंगाराम के वारिसान की विधिवत रूप से कोई जांच नही की है। नामान्तकरण खोलने से पूर्व अपीलार्थीगण को विधिवत रूप से नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर और अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व मौके पर कब्जे के संबंध मे तहसीलदार द्वारा कोई जांच नही की गई है। विवादित आराजीयात पर 1/2

जिला कलेक्टर टोंक

हिस्सा की भूमि पर अपीलांट्स अपनी माता के समय से लगातार काबिज होकर जमीन को मौके पर काश्त करते चले आ रहै है। अपीलांट्स की माता केसर गंगाराम की पुत्री है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गंगाराम की सम्पत्ति मे 1/2 हिस्सा मु0 केसर का है और यह हिस्सा मु0 केसर की मृत्यु के बाद अपीलांट्स मे निहित हो चुका है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन नामान्तकरण का अध्ययन किया। अभिभाषक अपीलांट्स का कथन है कि गंगाराम के भूरी पत्नि,कस्तूरी व केसर पुत्रीयां वारिसान है। अपीलांट्स केसर के वारिसान है,परन्तु नामान्तकरण संख्या 274 दिनांक 22.06.1989 ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक राजस्व अभियान केम्प लवादर मे दिनांक 22.06.1989 को गंगाराम पुत्र बालू जाट का स्वर्गवास होने पर उसके वारिसान भूरी बेवा गंगाराम व कस्तूरी पुत्री गंगाराम के 1/2 हिस्से का नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमो मे दर्शाये गये सजरे के अनुसार गंगाराम के वारिसान भूरी पत्नि व केसर,कस्तूरी पुत्रीयां है तथा अपीलांट्स केसर के वारिसान होना जाहिर है,जबकि गंगाराम के 1/2 हिस्से का नामान्तकरण भूरी पत्नि गंगाराम व कस्तूरी पुत्री गंगाराम के नाम स्वीकार किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से जाहिर है कि अपीलांट्स की माता केसर देवी का दिनांक 25.10.1980 को स्वर्गवास हुआ है। ऐसी स्थिति मे: अपील अपीलाण्ट्स रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्सा 274 दिनाक 22.06.1989 वाके ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक को अपास्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलाण्ट्स की माता केसर पुत्री गंगाराम के वारिसान की जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक